भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 497

जिसका उत्तर 06 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

उच्च गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति

497. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों से आयातित उच्च गुणवत्ता (हाई एंड) कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के लिए निजी कंपनियों पर निर्भर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी मात्रा और भारतीय रूपये में मूल्य के कोयले का आयात किया गया और सरकार द्वारा आगामी वर्षों के दौरान आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार कार्बन-उत्सर्जन को कम करने की अपनी वचनबद्धता के कारण विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता के कोयले की मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपाय करने में किसी समस्या का सामना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उच्च गुणवत्ता के कोयले की कुल कमी का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, नहीं। सरकार विदेशों से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के लिए निजी कंपनियों पर निर्भर नहीं है। इसलिए, वर्तमान आयात नीति के अनुसार, कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क के भुगतान पर अपनी संविदात्मक कीमतों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयला आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) : पिछले पांच वर्षों में आयातित कोयले की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों में कोयले का आयात (मात्रा मिलियन टन में और मूल्य करोड़ रुपये में)								
वर्ष	**एन्थ्रेसाईट कोयला**		**कोकिंग**		**गैर-कोकिंग**		**कुल**	
	मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
2018-19	1.83	2038.15	51.84	72049.76	181.68	96832.57	235.35	170920.49
2019-20	1.82	1804.15	51.83	61266.83	194.89	89661.07	248.54	152732.05
2020-21	1.96	1700.24	51.20	45355.21	162.09	68968.61	215.25	116024.05
2021-22	2.30	3402.39	57.16	102995.85	149.47	122343.61	208.93	228741.85
2022-23	2.02	4522.15	56.05	15383.99	181.62	229744.40	237.67	383584.38
2023-24 सितंबर, 23 तक	1.17	1984.21	29.39	62840.51	95.82	86678.2.03	125.21	149518.71

कोयला आयात में कमी के लिए किये गये उपाय नीचे दिये गये हैं:

(i) घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है जो आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयातित कोयले पर निर्भरता कम करने की कुंजी है। वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77% बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान नवंबर, 2023 तक घरेलू कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% से अधिक बढ़ गया है। चालू वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन लक्ष्य 1012.14 मिलियन टन है। इसी तरह, 2025-26 में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अकेले एक बिलियन टन का उत्पादन करेगी।

(ii) कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन ताकि कैप्टिव खानों को अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद वार्षिक उत्पादन के 50% तक बेचने के लिए अनुमति देना, एमडीओ मॉडल के माध्यम से उत्पादन, सतह खनिक, सतत खनिक जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना आदि, नई परियोजनाएं शुरू करना और

मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करना और निजी कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी शामिल है। वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। वाणिज्यिक खनन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती हे। इन सब पहलों के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई और आयात में कमी आई। नीलामी माध्यम/वाणिज्यिक कोयला नीलामी के माध्यम से शुरू नहीं होने पर, सीएजीआर वृद्धि दर के अनुसार हमें 150.00 मि.ट. कोयले का आयात करने की आवश्यकता हाती परंतु हमने वास्तव में वित्त वर्ष 23-24 में अप्रैल-सितंबर के दौरान केवल 125.21 मि.ट. का आयात किया है।

(iii) इसके अलावा, कोयला आयात प्रतिस्थापन के प्रयोजनार्थ एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है जिसमें कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) कोल इंडिया लिमिटेड, एससीसीएल, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एक बड़े मंच पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करती है ताकि उन्हें कोयले के आयात को समाप्त करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र के कोयला उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन किया जा सके।

(ग) और (घ) : अभी तक देश में कोयले की ज्यादातर जरूरत घरेलू उत्पादन से पूरी होती है। तथापि, आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) विद्युत संयंत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ उच्च श्रेणी के कोयले जैसे कोकिंग कोयला, एन्थ्रेसाइट और कम राख वाला थर्मल कोयला, आयात करना आवश्यक है क्योंकि उनका घरेलू उत्पादन अनुपलब्ध है। सरकार का ध्यान कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को खत्म करने पर है।

****